22.2.22

सेवा में,

K.C.Pandey
24/2/22

श्रीमान् अंचलाधिकारी
कोडरमा अंचल ।

विषय :– भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के सबधं में ।

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं मंजु देवी, वरुण पाण्डेय, ब्रह्मदेव पाण्डेय

ग्राम उरुवाँ पो० कुमारी तिलैया थाना तिलैया

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :–

1. मौजा उरुवाँ
2. थाना तिलैया
3. थाना न0 12
4. खाता न0 440
5. प्लॉट न0 1913
6. रकवा 12 डी०
7. भूमि का किस्म रैयती
8. अधतन रसिद न0 0785057825
9. दा0 खारिज वाद संख्या

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतू सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मै श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

Barun Pandey
ब्रह्मदेव पाण्डेय
विश्वासभाजन
मंजु देवी

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या....162..../2023

09.03.2023

आवेदिका श्रीमती मंजु देवी पति स्व0 चन्द्रशेखर पाण्डेय, वरुण पाण्डेय, ब्रहमदेव पाण्डेय दोनों के पिता श्री रामेश्वर पाण्डेय, साकिन–गुमो, वार्ड नं0–22, पोस्ट–झुमरी तिलैया, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :–

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किस्म
गुमो	12	440	1913	12 डी0	बकास्त

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें।
अभिलेख दिनांक ....17..../.....03...../2023 को प्रस्तुत करें।

09/03/23

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

17.03.2023

अभिलेख उपस्थापित
आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

08.4.2023

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता सं0–440, 441, 442, 443, प्लॉट सं0–1613 वगै0, कुल रकवा–2 ए0 85.84 डी0 भूमि पंजी–II के पृष्ठ संख्या–44, भाग संख्या–32 पर गेन्दो कुंवारी पिता दुर्गा पाण्डेय वगै0 के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि खतियानी है तथा बकास्त खाते की है लगान रसीद वर्ष–2022–23 तक निर्गत है। शपथ पत्र संख्या–3 एवं 6 दिनांक 10.02.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता सं0–440, प्लॉट सं0–1913, रकवा–12 डी0 भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

08/04/23

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.09.16 13:49:26 +05:30
Location: 192.168.29.246